Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 2, February-2019, ISSN 2230-7540

युवा समारोहों की पृष्ठभूमि में समूह गान की परम्परा

Monu Kumar*

Research Scholar, Department of Music, Maharishi Dayanand University, Rohtak

शोध सारांश – ***समूहगान अर्थात जो मिलकर गाया जाए वो समूह गान की श्रेणी में आता है। समूहगान में बहुत से कलाकारों की सहभागिता रहती है। युवा समारोहो में लगभग सभी कलाओं को प्रतियोगिता में शामिल किया जाता हैं। परन्तु इन सभी में समूहगान ही एक ऐसी विद्या कही जा सकती है जो समाज को जोड़ने का काम करती है। इसलिए समूहगान का महत्व भी है और उदेश्य भी है क्यों कि समूह गान में अधिकतर देश भक्ति की भावना होती है जिससे समाज में एकता की भावना पैदा होती है। इसलिए युवा समारोहो की परंपरा में समूहगान का विशेष महत्व है।***

----------X----------

युवा समारोहों की पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि इसका संबंध युवाओं से है। राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं में परस्पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं परन्तु इसके अलावा ये शिक्षण संस्थाओं द्वारा जैसे विश्व-विद्यालय तथा महाविद्यालय और विद्यालय स्तर पर भी होती हैं। यह कार्यक्रम शिक्षण संस्थाओ से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। शिक्षण संस्थाओं में कला तथा संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम प्राचीन समय से ही होते आ रहे हैं। ललित कलाओं के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम फरवरी सन् 1886 में संगीत के प्रथम विद्यालय की स्थापना बड़ौदा नगर में हुई। इसके संस्थापक एवं संरक्षक 'श्रीमन्त सर सयाजी गायकवाड़' जी थे। इसके बाद स्व पं॰ विष्णुदिगम्बर पलुस्कर जी ने 5 मई 1901 के दिन गन्धर्व महाविद्यालय की स्थापना की।[1] इसी श्रृंखला में रविन्द्र नाथ टेगौर द्वारा 'शांति निकेतन' की स्थापना हुई जहां पर संगीत एवं ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सांस्कृतिक विकास के प्रति एक प्रकार की जागरूकता उत्पन्न हुई। जैसे-जैसे जनसाधारण में सांस्कृतिक चेतना गहरी होती गई वैसे-वैसे भारतीय सरकार ने अपना यह प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व अनुभव किया कि विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर भारतीय कला व संस्कृति के विकास के लिए प्रयास किए जाएं। स्कूलों तथा महाविद्यालयों में पाठयक्रम के साथ - साथ अन्य कई कार्य निश्चत किए जाएं जैसे स्कूलों में प्रातःकाल प्रार्थना सभा करवाना राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान करवाना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कुछ मुख्य दिन निश्चत किए गए जैसे बाल दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्रत दिवस, वार्षिक समारोह आदि। स्कूलों में विद्यार्थियों को सभ्य तथा शिष्ट बनाने के लिए नैतिक शिक्षा भी पाठ्यक्रम में रखी गई। स्कूल मनुष्य की शिक्षा ग्रहण करने का प्रथम चरण होता है। इसके बाद महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की जाती है। यहां पर भी युवावर्ग को शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक संस्कृति से जोड़ने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिससे उनका मनोरंजन तो होता ही है साथ ही उनकी प्रतिभा भी उभर कर सामने आती है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक विभाग की स्थापना की गई है इस विभाग का कार्य कला एवं संस्कृति से संबन्धित सभी कार्यक्रम करवाना है। इस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष एक समारोह होता है जिसको युवा समारोह कहते हैं। इसमें संगीत तथा रंगमंच से जुडे सभी कार्यक्रम होते है जैसे-शास्त्रीय संगीत, लोकसंगीत, सुगम संगीत, पाश्चातय संगीत आदि। इनमें संगीत की तीनों विधाएं होती हैं। इनके साथ-साथ नाटक, स्किट, फैन्सीड्रेस, रंगोली, पेंटिंग, माईम, मिमिक्री, वाद-विवाद, भाषण तथा कविता आदि को भी शामिल किया जाता है।

युवा समारोहों की इन प्रतियोगिताओं द्वारा संस्कृति को भी प्रोत्साहन मिलता है तथा नई प्रतिभाएं भी समक्ष आती हैं। युवा समारोह विश्वविद्यालय द्वारा ही नहीं अपितु 'खेल एवं सांस्कृतिक विभाग' द्वारा भी करवाए जाते हैं। इनमें अन्तर यह होता है कि विश्वविद्यालय स्तर के युवा समारोहों में केवल वहां के छात्र-छात्रएं ही प्रतिभागी बन सकते हैं परन्तु खेल विभाग के युवा समारोहों में कोई भी व्यक्ति जो 35 वर्ष की आयु तक का है वह भाग ले सकता है। 'खेल एवं सांस्कृतिक विभाग' प्रदेश के प्रत्येक जिले में भाग ले सकता है। यह विभाग युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के साथ-साथ सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

www.ignited.in

अतः युवा समारोह प्रतिवर्ष युवाओं द्वारा युवाओं को संगीत तथा संस्कृति से जोड़ने के लिए आयोजित किए जाते है।

युवा समारोहों का स्वरूप

युवा समारोह एक सांस्कृतिक समारोह एवं प्रतियोगिता है। इन समारोहों का स्वरूप योजनाबद्ध तरीके से पूर्व निश्चित होता है। ये समारोह प्रत्येक महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष शिक्षा सत्र शुरू होने के कुछ समय बाद प्रारम्भ हो जाते हैं। सर्व प्रथम महाविद्यालयों में प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं की खोज के लिए एक प्रतियोगिता रखी जाती है। जिसे 'टैलेंट सर्च कम्पटीशन' कहते है हिन्दी में इसे 'प्रतिभा खोज प्रतियोगिता' कहते हैं। इस प्रतियोगिता में सभी कार्यक्रम शामिल होते हैं। इसका कारण यह है कि प्रतिभा की खोज सामूहिक प्रस्तुति में स्थान पर एकल प्रस्तुति में ज्यादा अच्छी हो जाती है। इस प्रतियोगिता में से योग्य छात्र-छात्राओं को चुना जाता है तथा उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। इस पतियोगिता के बाद इन चुने हुए विद्यार्थियों को Zonal Youth Festival की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थी अपनी इच्छा से किसी भी कार्यक्रम जिसे करने के वह योग्य हो उसमें प्रतिभागी बन सकता है। कार्यक्रम करवाने के लिए विद्यार्थियों को अनुभवी कलाकारों द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

क्षेत्रीय युवा समारोहं Zonal Youth Festival के अन्तर्गत एक जोन या क्षेत्र में लगभग 20-22 महाविद्यालय परस्पर प्रतियोगिता करते हैं। एक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लगभग 6-7 'जोन' होते है। केवल हरियाणा के दो विश्वविद्यालयों 'महर्षि दयानन्द' तथा 'कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय' में 7-7 'जोन' है तथा एक जोन के अन्तर्गत 20-22 कॉलेज आते है। जोनल यूथ फेस्टीवल के अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा में जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करते है उसको प्रथम द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता है। क्षेत्रीय प्रतियोगिता के पश्चात इन्टर-जोनल यूथ फैस्टीवल या अन्तर क्षेत्रीय युवा समारोह आता है। उसे अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता भी कहते है। उन प्रतियोगिताओं के अन्तर्गत प्रत्येक जोन (क्षेत्र) की परस्पर प्रतियोगिता होती है। इसमें प्रत्येक जोन के चुने हुए प्रतिभागी ही भाग लेते है। उदाहरण के लिए यदि सात जोन है तो इन्टर जोनल में सात टीम भाग लेती हैं और एक कार्यक्रम में सात प्रतिभागी होते हैं। यहां प्रतिभागी अपने-अपने जोन को प्रस्तुत करते हैं। अन्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता के पश्चात 'नोर्थ जोन इन्टर यूनिवर्सिटी' की प्रतियोगिता होती है। इस प्रकार उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम चार (क्षेत्रों) जोन में भारत के सभी विश्वविद्यालय बंट जाते है। उदाहरण के लिए नोर्थ जोन इन्टर यूनिवर्सिटी की प्रतियोगिताएं हैं तो उत्तर भारत के विश्वविद्यालय ही परस्पर प्रतियोगिता में भाग लेगें। ये प्रतियोगिताएं किसी भी एक विश्वविद्यालय के प्रांगण में सम्पन्न करवाई जाती हैं। यहां पर प्रथम द्वितीय आने वाले विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों को नेशनल में प्रस्तुती देने का अवसर प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा पुरस्कार प्रप्तप्त करने वाले विश्वविद्यालयों को भी अलग से पुरस्कार दिए जाते है। सभी जोन (उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम) के प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी (आल अण्डिया इन्टर यूनिवर्सिटी) नेशनल सूथ फेस्टिवल' में अपने कार्यक्रमों का प्रदर्शन करते है। 'प्रतिभा खोज' प्रतियोगिता से 'नेशनल' तक आते-आते एक प्रतिभागी को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है।

दूसरे प्रकार के 'युवा समारोह' जो खेल एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष होते है इन्हें 'ओपन यूथ फेष्टीवल' भी कहते हैं। इनका स्वरूप भी विश्वविद्यालयों के युवा समारोह के स्वरूप से कुछ मिलता जुलता है। इनमें सर्व प्रथम जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं होती है। जिनमें जिले का कोई भी व्यक्ति जो 35 वर्ष की आयु तक है वह भाग ले सकता है। जिला स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सभी प्रतियोगिताएं होती है। इनमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागी राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी बनते है। राज्य स्तर पर राज्य के सभी जिलों के चुने हुए प्रतिभागी अपनी प्रस्तुती देते है। राज्य स्तर पर प्रतिभागिताओं में प्रथम आए प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी बनते है। इस प्रकार 'ओपन यूथ फेस्टीबल' की प्रतियोगिताएं प्रतिवर्ष खेल एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा होती है।

युवा समारोह चाहे वह विश्वविद्यालय स्तर पर हों या राज्य स्तर पर सभी में कार्यक्रमों की सूचि होती है और एक समय सीमा होती है। उदाहरण के लिए यदि एक लोक नृत्य को 8 से 10 मिनट का समय मिलता है तो उसे इतनी ही समय सीमा में अपनी प्रस्तुति देनी होती है। हर कार्यक्रम के लिए अनुभवी निर्णनायक मण्डल होता है, जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का चयन बड़े ही योजना बद्ध तरीके से करता है।

युवा समारोहों का उद्देश्य

भारत में विभिन्नता में एकता की तस्वीर को यूं तो किसी आईने की जरूरत नहीं लेकिन इसे अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कला और संस्कृति को माध्यम बनाया जा सकता है। 'एशोसिएशन ऑफ़ इण्डियन यूनिवर्सिटी' (AIU) का उद्देश्य

था कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों की कला एवं संस्कृति को एक मंच पर लाया जाए और इसे क्रियान्वित करने की जिम्ममेदारी देशभर के विश्वविद्यालयों को सौंपी जाए। देशभर में इतने सांस्कृतिक सम्मेलन होते रहते है जिनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहता है परन्तु युवा पीढ़ी के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कृति से जोड़ने के लिए युवा समारोह करवाए जाने लगे।

इस प्रकार युवा समारोहों द्वारा जब विभिन्न प्रदेशों की कला एवं संस्कृति एक मंच पर एकत्रित होती है तो विभिन्न प्रदेशों की भाषा, वादन शैली, गायन शैली, नृत्यों के प्रकार हमारे समक्ष आते है। उनका रहन-सहन तथा पहनावा आदि प्रदेश से संबधित कई जानकारियां भी प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते है कि युवा समारोहों से कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ये समारोह विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति का आदान-प्रदान तथा युवाओं की इस ओर रूचि को बढ़ाते हुए प्रतिभाशली विद्यार्थियों को अवसर भी प्रदान करते हैं।

वृन्दगान की पंरपरा भारत की प्राचीन परंपराओं में से एक है। वैदिक काल में सामूहिक काल में सामूहिक मंत्रो का गायन इस तथ्य का प्रमाण है कि प्राचीन काल में ही समवेत गायन का उद्भव हो चुका था। उस समय वृन्दगान प्रारूप की दृष्टि से अवश्य भिन्न रहा होगा किन्तु समवेत स्वरों में गायन का महŸव तब भी था और आज भी है।

प्राचीन काल में समूहगान के लिए 'वृन्द' शब्द का प्रयोग किया जाता था। वृन्द का शाब्दिक अर्थ समूह तथा गायन का तात्पर्य गाने से है। सामूहिक गान संगीत कलां के गीत वाद्यं नृत्य संगीत मुच्यते के तीनों आधारों की पूर्ति करता है।[2]

वृन्द शब्द की उत्पति वृ धातु में द्न प्रत्यय लगाने से हुई है। जिसका शाब्दिक अर्थ है समूह कतृय शब्द का अर्थ समूह है। ध्रवा गीतियों का गान प्रायः वृन्द संगीत के साथ होता था"[3] वैदिक राष्ट्रीय गीत सामूहिकता से गाए जाते थे।[4]

सामूहिक गायन हमारी पुरातन संस्कृति एवं परंपरा का परिचायक है। जिस प्रकार समूह द्वारा एक सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है उसी प्रकार सामूहिक गायन से लोगों को एकता के सूत्र में बाँधा जा सकता है मनुष्य में सामूहिकता की भावना का चित्र हमें आदिम काल से ही मिल जाता है। प्राचीन काल में जिस प्रकार आदिमानव आत्मरक्षा एवं शिकार करने हेतु समूह में विचरण किया करता था, उसी प्रकार वह अपने मनोरंजन के लिए समूह में ही गायन, वादन तथा नृत्य किया करता था। लोक के साथ जो मनुष्य की सभ्यता विकसित हुई वह समूह में ही हुई अतः लोक संगीत भी सदैव-सदैव से समूह प्रधान रहा है। इसके अतिरिक्त सभ्यता के विकास के साथ-साथ जब संगीत और धर्म में संबन्ध स्थापित हुआ, तब विभिन्न धर्मो के अनुसार समूह में गाया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान का संगीत प्रचलित हुआ। आज लगभग सभी धर्मो में अपनी-अपनी रीति के अनुसार सामूहिक गायन की परंपरा है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि समुहगायन की परंपरा प्राचीनकाल से ही प्रचार में है। किन्तु वर्तमान तक आते-आते इसका स्वरूप इतना परिवर्तित हो चुका है कि यह एक विधा का रूप ले चुका है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अमरेश चन्द्र चैबे, संगीत की संस्थागत शिक्षण प्रणाली, पृ॰ 24।
2. संगीत रत्नाकर शारंगदेव का अध्याय-3 महाकाव्य काल में संगीत
3. निबंध संगीतः लक्ष्मी नारायण गर्ग, पृष्ठ 187
4. मधुकली स्मारिका, डॉ. ओमप्रकाश चैरसिया, भोपाल

Corresponding Author

Monu Kumar*

Research Scholar, Department of Music, Maharishi Dayanand University, Rohtak